नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

पीठासीन अधिकारी— प्रभाती लाल जाट आरएएस

अपील सं. 18/2018

अनवानः—

1 पृथ्वीराज 2 कालूराम 3 अमर सिंह 4 कृष्ण लाल पि0 बीरबल राम
5 खिराज राज पुत्र ईशर राम 6 श्याम सुन्दर पुत्र बलवंत
जति जाट सा. मानकथेड़ी तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1 स्टेट जरिये तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।
2 प्रेम पुत्र त्रिलोकाराम 3 रमेश पत्र हेमाराम सुथार सा. 13 एसटीबी
4 पृथ्वीराज पु बीरबलराम जाट सा. 12 एसटीबी।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.04.2018 बअदालत तहसीलदार पीलीबंगा ।

उपस्थितः— 1 श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।
3 श्री विनोद पारीक अभिभाषक रेस्पो. 2 ता 4

—ःनिर्णयः—

दिनांकः —21.08.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलांट के विरूद्ध चक 4 बीआरपी के प0नं0 24/359 कि0नं0 1 से 5, 6,15,16,25 में गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने का आक्षेप लगाते हुए अपीलांट के विरूद्ध धारा 22 उपनि0 अधिनियम के नोटिस जारी किये गये। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सुदृढ़ आधारों पर जबावदेही प्रस्तुत की तथा यह कथन किया कि कथित रास्ता जब से मुरब्बाबंदी हुई है तभी से मौका परा नहीं चला तथा यह रास्ता प0नं0 25/359 कि0नं0 5 के पूर्वी सिरे पर रास्ता स्वीकृत नहीं होने व दक्षिण की ओर किसी स्वीकृत रास्ता से मिलान नहीं भी नहीं करता है। इस रास्ता के अनुपयोगी होने का कथन करते हुए अपीलांट ने यह तथ्य भी प्रकट किया कि राजस्व अभिलेख में उक्त वर्णित कि0नं0 1 से 5,6,15,16,25 में रास्ता की प्रविष्टि गलत है तथा इस रास्ता के इन्द्राज को कलमजन किये जाने हेतु अपीलांट ने सक्षम न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के समक्ष राजस्व वाद सं. 17/18 प्रस्तुत कर विधिक कार्यवाही कर रखी है। प्रश्नगत भूमि प0नं0 24/359 कि0नं0 1 से 5 में सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक किला में 0.025 है0 गै0मु0खाला स्वीकृत है जो मौका पर चालू है। अपीलांट ने इस रास्ता की औचित्यता के संबंध में सद्भाविक विवाद होने व सक्षम न्यायालय में इस गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टि को कलमजन किये जाने हेतु वाद विचाराधीन होने का तथ्य प्रकट करते हुए धारा 22 उपनि0 अधिनियम के अर्न्तगत प्रारम्भ की कार्यवाही को ड्राप किये

अपर जिला कलक्टर

जबाबदेही को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 09.4.18 को अपीलाधीन पारित किया है। अपीलांट इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:-

क- यह कि आक्षेपित अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

ख- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटि में वर्णित चक 5 बीआरपी के प0नं 24/359 कि0नं0 1 से 5,6,15,16,25 में दर्ज 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कभी नहीं चला तथा ना ही इस रास्ता की किसी काश्तकार को जरूरत है। इस रास्ता की कोई उपयोगिता नहीं होने के कारण जब से चकबंदी हुई है तभी से इस रास्ता का किसी भी काश्तकार ने उपयोग व उपभोग नहीं किया है।

ग- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया है कि कथित प0नं0 24/359 कि0नं0 1 से 5,6,15,16,25 में स्वीकृत गै0मु0 रास्ता परस्पर किसी मंजूर रास्ता से नहीं जुड़ता बल्कि बीच में प0नं0 24/359 कि0नं0 5 में पूर्वी तरफ रास्ता स्वीकृत ही नहीं है तथा दक्षिण की ओर किसी स्वीकृत रास्ता से भी मिलान नहीं करता।

घ-यह कि प्रश्नगत रास्ता के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज गलत प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने हेतु अपीलांट ने सक्षम न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के समक्ष प्र0सं0 17/18 अर्न्तगत धारा 88 आरटीए दिनांक 15.01.18 को प्रस्तुत कर दिया था तथा इसमें रेस्पो0 भी बतौर प्रतिवादी सं0 3 पक्षकार रहा है।

ड- यह कि अपीलांट यह भी निवेदन करना उचित समझते हैं कि पूर्व में प0नं0 24/359 कि0नं0 1 से 25 को आबादी के लिए आरक्षित किया गया था तथा इस प्रयोजन हेतु आबादी की फिरनी की गर्ज से कि0नं0 1 से 5 ,6,15,16,25 में यह रास्ता फिरनी के प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया था । कालान्तर में इस मुरब्बा ससे आबादी न काटकर इस मुरब्बा को आवंटित कर दिया गया तथा इस मुरब्बा में उक्त वर्णित गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टि यथावत रहीं जो कतई अनुपयोगी थी।

च-यह कि अपीलांट ने मा.न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत रास्ता की उपयोगिता के संबंध में चक 5 बीआरपी व चक 12 एसटीबी का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इस नजरी नक्शा के मुताबिक भी चक 5 बीआरपी व 12 एसटीबी में चक ठाकरूवाला,चक 12 व 13 एसटीबी तथा गांव मानकथेड़ी के लिए सुगम व सबसे कम दूरी के रास्ते पहले से ही विद्यमान हैं। प्रश्नगत रास्ता की कोई औचित्यता भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि को ध्यान मे रखकर यांत्रिक रूप से अपीलांधीन आदेश पारित किया है तथा अपीलांट की सुदृढ़ एवं विधिजन्य जबावदेी व आपति को ठुकराया है।

छ- यह कि प्रश्नगत भूमि प0नं0 24/359 कि0नं0 1 से 5 सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक किला में 0.025 है0 गै0मु0 खाला स्वीकृत है जो मौका पर चालू है तथा सदैव से ही इन किलों में खाला ही चलता आया है।

अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त करवाया जावे।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

बहस सुनी गयी। रेस्पो0 सं0 2 ता 4 को मा0राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी सं0 4228/2018 प्रेम आदि बनाम पृथ्वीराज में पारित आदेश दिनांक 22.6.18 की पालना में उनको प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता की कोई औचित्यता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि को ध्यान मे रखकर यांत्रिक रूप से अपीलांधीन आदेश पारित किया है तथा अपीलांट की सुदृढ़ एवं विधिजन्य जबावदेही व आपति को ठुकराया है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज काश्त किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 2 ता 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रश्नगत रास्ता की भूमि में से आवागमन करते हैं । इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाकर प्रश्नगत रास्ता को मौका पर खुलवाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट दिनांक 21.5.18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 5 बीआरपी के प0नं0 24/359 कि0नं0 1 से 5,6,15,16,25 प्रत्येक किला में 0.025 है0 रास्ता मंजूर शुद्धा है। इस रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होती है कि उक्त किला नम्बरान में मंजूरशुद्धा रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस मंजूर शुद्धा रास्ता की भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज काश्त करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पारित कर गै0मु0 रास्ता की भूमि में से अप्रार्थी (अपीलांट) को भैतिक रूप से बेदखल कर खड़ी फसल को कुर्क कर सार्वजनिक रूप से निलाम करने के आदेश जारी किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिवत जारी किया गया है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रभाती लाल जाट)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़